यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, परियोजना खण्ड, संचाई वभाग, यमुना कालोनी, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, परियोजना खण्ड, संचाई वभाग, यमुना कालोनी, देहरादून के माह 09/2016 से 08/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी.के. श्रीवास्तव एवं श्री सुनील कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों तथा श्री गौरव रावत, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 05/09/2017 से 16/09/2017 तक श्री जगमोहन संह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री राजेश सन्हा एवं श्री पी.के. श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 21/09/2016 से 01/10/2016 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2014 से 08/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।
   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2016 से 08/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः निक्षेप मद में भवनों का निर्माण, देहरादून, उत्तरकाशी एवं अल्मोड़ा।
   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(लाख में)

वर्ष	शीर्ष	स्थापना		गैरस्थापना		आ धक्य	बचत (समर्पण)
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	2701	426.25	394.75	-	-		
	8443	-	-	2142.42	2255.47		
2015-16	2701	407.02	402.11	-	-		
	8443	-	-	1997.33	1164.97		
2016-17	2701	452.60	428.43	-	-		
	8443	-	-	1414.73	1080.65		
2017-18 (08/2017)	2701	472.15	261.86	-	-		
	8443	-	-	359.24	692.21		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त ` (लाख)	व्यय (+) ` लाख	बचत (-) ` लाख
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **A** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख स चव
प्रमुख अ भयन्ता
मुख्य अ भयन्ता
अधीक्षण अ भयन्ता (देहरादून)
अ धशासी अ भयन्ता
सहायक अ भयन्ता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, परियोजना खण्ड, संचाई वभाग, यमुना कालोनी, देहरादून को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, परियोजना खण्ड, संचाई वभाग, यमुना कालोनी, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। Construction of Training Centre at Sudhowala का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन अ धक व्यय के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक ..... से ..... का निरीक्षण कया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा र्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा र्षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2017 तथा 09/2016 तक की गई।
5. फार्म 51: माह 04/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम ₹ 143433507.75

   भाग द् वतीय ₹ 1284568.57

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 07/2017 के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम : ₹ 1245810.08

   (ख) सामग्री क्रय : - शून्य-

   (ग) नगद परिशोधन : -शून्य-

   (घ) निक्षेप : 206376106.23

   (ङ) भण्डार : 1655211.00

भाग दो ‘अ’

-शून्य-

भाग-2(ब)

प्रस्तर 1: कार्य हस्तांतरण क निर्धारित अव ध के बाद भी ग्राहक वभाग से रु 92.07 लाख क वसूली का लंबित रहना

राष्ट्रीय माध्य मक शक्षा अ भयान के अंतर्गत 18 कार्यो हेतु खंड को कुल रु 1633.62 लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान क गयी थी जिनहे MoU के अनुसार नवंबर 2012 से अप्रैल 2016 के मध्य पूर्ण कया जाना था। ग्राहक वभाग (RAMSA) द्वारा उक्त कार्यो के सापेक्ष कुल रु 1421.51 लाख क धनरा श अवमुक्त की गयी थी।

अ धशासी अ भयंता, परियोजना खंड, देहरादून के अ भलेखो की लेखापरीक्षा मे पाया गया (सतंबर 2017) क उक्त कार्यो के निष्पादन मे खंड द्वारा अवमुक्त धनरा श रु 1421.51 लाख के सापेक्ष रु 1513.58 लाख की धनरा श व्यय कर ग्राहक वभाग को हस्तांतरित कर दिये जाने (माह10/2013 से माह 11/2016 के मध्य) के 08 माह से 44 माह बाद भी आ धक्य व्यय रु 92.07 लाख की धनरा श खंड को अप्राप्त थी।

उक्त क ओर इं गत कए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे बताया गया क ग्राहक वभाग द्वारा 10 प्रतिशत क धनरा श निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य हस्तांतरण के बाद दी जाती है।

खंड का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्यूं क MoU के अनुसार कार्य हस्तांतरण के 30 दिनो के अंदर अवशेष धनरा श ग्राहक वभाग द्वारा निर्माण एजेंसी को भुगतान कर दिया जाना था। पुनः MoU मे खंड द्वारा धनरा श प्राप्त न होने पर कसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का उल्ले खत न कया जाना भी खंडीय कमी का ज्ञोतक है।

अतः खंड द्वारा अवमुक्त धनरा श से अ धक धनरा श का व्यय कर कार्य हस्तांतरण के निर्धारित अव ध के उपरांत भी ग्राहक वभाग से रु 92.07 लाख की लंबित वसूली का प्रकरण उच्चा धकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर 2- कार्य को टुकड़ों में वभाजित करना, एक समय पर एक ठेकेदार से एक से अ धक अनुबंध गठित कये जाने एवं 21,07,202/- की धनरा श का अनु चत व्यय।

अ धशासी अ भयन्ता, परियोजना खण्ड देहरादून की लेखापरीक्षा (सतम्बर-2017) में पाया गया क अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड के अन्तर्गत जिला देहरादून के वधानसभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम आमवाला कब्रिस्तान की चाहर दीवारी कार्य हेतु वत्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति (मार्च 2016) 64.80 लाख थी। आगणन में 635 Running meter (RM) चाहर दीवारी निर्माण कार्य हेतु 56,19,974/- Culvert निर्माण कार्य हेतु 7,45,386/- का प्रावधान था। खण्ड द्वारा Culvert निर्माण कार्यहेतु काई भी अनुबंध गठित न करते हुए 635 RM चाहर दीवारी निर्माण कार्य को छोटे-छोटे टुकड़ों में वभाजित करते हुए मात्र 543.30 RM (यानि 91.70 RM कम) दीवार हेतु 10 अनुबंध गठित कये। खण्ड द्वारा एक समय पर एक से अ धक यानि ठेकेदार श्री वाई.के.जैन एण्ड क. के साथ 6 अनुबंध (अनुबंध सं. 1,2,4,5,8 एवं 9/ AE-II/16-17) एवं 3 अनुबंध (अनुबंध सं. 3,6 एवं 31/AE-II/16-17) ठेकेदार श्री मामचन्द S/o श्री तेलराम के साथ गठित कये। खण्ड द्वारा ग्राहक वभाग को कुल अवमुक्त धनरा श 64.80 लाख का उपयोग प्रमाण पत्र प्रे षत कया गया है जब क खण्ड द्वारा उक्त कार्य पूर्ण दर्शाते हुए ठेकेदार को कुल देय रा श 43,72,798/- का भुगतान कया गया। शेष धनरा श (64.80 लाख - 43,72,798) = 21,07,202/- का व्यय कहा कया गया स्पष्ट नहीं था।

उक्त की ओर इं गत कये जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बतलाया क ग्राहक वभाग द्वारा आवश्यकतानुसार Culvert के स्थान पर Retaining wall कार्य हेतु सहमति प्रदान की गयी थी। साथ ही यह भी बतलाया क क्षेत्रीय लोगो को रोजगार देने की नीति के तहत कार्य को टुकड़ों में बांटा गया और नि वदा जारी करने के बाद अलग-अलग कार्य पर एक ही ठेकेदार की न्यूनतम नि वदा प्राप्त होने पर अनुबंध गठित कया गया। इस के अतिरिक्त अवशेष धनरा श 21,07,202/- के बारे में पूछे जाने पर बतलाया क ग्राहक वभाग के निर्देश पर आवश्यकतानुसार कुछ अन्य कार्य की अलग-अलग अनुबंधों द्वारा उपरोक्त आगणन के सापेक्ष कराया गया है जिसके लए उच्चा धकारी से स्वीकृति प्राप्त है।

खण्ड का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं था क्यों क खण्ड द्वारा क्षेत्रीय लोगो को रोजगार देने की नीति से कार्य को टुकड़ो में बाटना नियमानकूल नहीं था साथ ही खण्ड द्वारा कार्य को वभाजित करते हुए 10 अनुबंध मात्र 3 ठेकेदारों के साथ गठित करना अपने आप क्षेत्रीय लोगो को रोजगार देने की नीति को दर्शाता है। साथ ही खण्ड द्वारा न तो Culvert कार्य के स्थान पर Retaining wall का कार्य कराने हेतु और न ही अवशेष धनरा श 21,07,202/- को ग्राहक वभाग के निर्देश पर अन्य कार्य

अलग-अलग अनुबंधों द्वारा कराये जाने से संबं धत ग्राहक वभाग का कोई भी आदेश या सहमति पत्र लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत कया।

अतः कार्य को टुकड़ों में बांटते हुए एक ही ठेकेदार के साथ एक से अ धक अनुबंध गठित कये जाना एवं 21,07,202/- की शेष धनरा श उपलब्ध होने के बावजूद बिना ग्राहक वभाग की सहमति के 91.70 RH दीवार एवं Culvert का निर्माण कार्य के स्थान पर अन्य कार्य कराने के प्रकरण को उच्च अ धकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 3: वभागीय अदूरद र्शता अनिय मतताए एवं नियोजना में कार्य के कारण कार्य की लागत में वृद् ध 487.37 लाख एवं कार्य निष्पादन में देरी।

जनपद देहरादून के सुद्दोवाला में सेन्टर कार ट्रेनिंग एवं रिसर्च लाइने मयल एड मनिस्ट्रेशन भवन के निर्माण हेतु शासन द्वारा माह मार्च 2014 से 1385.87 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी एवं पुनरी क्षत स्वीकृति 487.37 लाख (कुल 1873.24) माह मार्च 2017 में प्रदान की गयी थी प्रा व धक स्वीकृति क्रमशः 1385.87 लाख (माह अक्टूबर 2014) एवं 487.37 लाख (कुल 1873.24 लाख) माह जून 2017 में मुख्य अ भयन्ता द्वारा प्रदान की गयी थी।

परियोजना खण्ड देहरादून की लेखापरीक्षा (माह सतम्बर 2017) में पाया गया क खण्ड द्वारा प्रा व धक स्वीकृति (मद, मात्रा एवं दर) स्वीकृति मलने से पूर्व ही नि वदाए जारी (20.08.2014) कर दी गयी थी। यद् प ई.टेन्डरिंग द्वारा नि वदाए जारी की गयी थी कन्तु उत्तराखण्ड अ धप्राप्ति नियमावली 2008 की अनदेखी कर दो अनजान एवं कम प्रकार वाले समाचार पत्रों (मंसूरी का सच एवं दैनिक हुकूमत एक्सप्रैस) में प्रका शत की गयी थी साथ ही नि वदादाताओं को मात्र 07 दिन का समय नि वदा जमा करने हेतु दिया गया था। वभाग द्वारा बार-बार नि वदा खुलने की ति थयों में बदलाव कया गया था जो नि वदा पहले 28/08/2014 को खुलनी थी अंत में जाकर 19.09.2014 को नि वदा फाईल रूप से खोली जा सकी यह भी पाया गया क नि वदा फाईनल करने (दिनांक 19.09.2014) के लगभग 40 दिन बाद दिनांक 01.11.2014 को अनुबंध पंजीकृत कया गया एवं कार्य प्रारम्भ भी लगभग 40 दिन बाद अर्थात दिनांक 11.12.2014 से कया गया। ठेकेदार की बैंक गारन्टी दिनांक 19.09.2017 तक वैध थी कन्तु लेखापरीक्षा ति थ तक बैंक गारन्टी की ति थ सम्बि धत ठेकेदार द्वारा आगे नहीं बढायी गयी थी। शासन द्वारा वत्तीय स्वीकृति प्रदान करते समय स्पष्ट उल्ले खत कया गया था क कार्य प्रारम्भ से पूर्व कार्यदायी संस्था एवं ग्राहक वभाग के मध्य एक MoU हस्ताक्षरित कया जाए जिसमें वभागीय हितो की रक्षा की जा सके कन्तु खण्ड ने माना क MoU हस्ताक्षरित नहीं कया गया था। खण्ड एवं ग्राहक वभाग के मध्य कोई बन्धन (MoU) न होने के कारण अनुबंध गठित होने के बाद बार-बार मदों एवं ड्राईंग में परिवर्तन कए गए नींव में फटिंग के स्थान पर राफट डालने का कार्य कया गया। खण्ड द्वारा (17 वे चालू देयक तक) कुल 11.67 करोड़ का भुगतान (अनुबंध 01/SE/2014-15) के सापेक्ष कया गया था जिसमें 40 से भी अ धक मदों का निष्पादन 1.64 करोड़ की अतिरिक्त मदों के रूप में कया गया था जो स्पष्ट इं गत करता है क खण्ड के पास दूरद र्शता एवं उ चत नियोजन का अभाव था। यह भी देखा गया क अनुबंध की एक शर्त के अनुसार यदि ठेकेदार को टेण्डर लागत आगणन की लागत (Estimated cost) से अ धक हो जाती है तो ठेकेदार को मात्र tendered Cost का ही भुगतान कया जाना था कन्तु खण्ड द्वारा इन शर्तों का पालन न कर 60.22 लाख का

अ धक भुगतान ठेकेदार को कया गया था (As per 17 th Running Bill Estimated Cost Rs 8,90,14099/- Executed Quotation Rs 95036607 = Rs 60.22 lakh (Extra Item सम्मि लत नहीं) उपरोक्त कार्य दिनांक 11.06.2016 तक पूर्ण कया जाना था कन्तु लेखापरीक्षा ति थ अर्थात कार्य प्रारम्भ (12.12.2014) ति थ से लगभग 03 वर्ष बाद भी Variation, Extra Item एवं समयवृद् ध स्वीकृत नहीं थी एवं अनुबंध का अन्तिमीकरण भी लम्बित था।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर बतलाया गया क कार्य की समयबद्धता एवं महता हेतु अल्पका लक नि वदा आमंत्रित की गयी थी एवं बार-बार नि वदा खोलने की ति थयों में बदलाव एवं संशोधन पर बतलाया गया क सक्षम अ धकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति के बाद ही तुलनात्मक ववरण बनाया जाना था साथ ही खण्ड द्वारा स्वीकार कया कया क अनुबंध गठन के बाद मदों एवं मात्राओं में परिवर्तन कए गए। अनुबंध की शर्त का पालन न कर Estimated Cost से अ धक भुगतान करने पर उत्तर दिया गया क सक्षम अ धकारी से प्रकरण के निस्तारण की कार्यवाही अग्रसर है तथा अन्तिम बीजक में Variation समयवृद् ध स्वीकृत कया जाएगा। लेखापरीक्षा को खण्ड का उत्तर मान्य नहीं था क्यों क समयबद्धता एवं महता हेतु अल्पका लक नि वदा जारी तो कर दी गयी थी कन्तु नि वदा फाईनल करनें में अत्य धक देरी लगायी गयी साथ ही कार्य का अन्तिमीकरण प्रारम्भ से 03 वर्ष बाद भी नहीं कया जा सका था। प्रा व धक स्वीकृति से पूर्व नि वदा जारी करने एवं MoU तैयार न करने के कारण बार-बार मदों एवं मात्राओं में परिवर्तन करना पड़ा जिससे कार्य की लागत में वृद् ध हुई।

अतः वभागीय अदूरद र्शता, अनिय मतता एवं नियोजन में कमी के कारण कार्य की लागत में 487.37 लाख की वृद् ध एवं कार्य निष्पादन में देरी का प्रकरण सज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 1: वत्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति के नियमो के वपरीत रु 11.54 करोड़ का व्यय के उपरांत भी कार्य का अपूर्ण रहना।

उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य संप त्त वभाग के नियंत्रणाधीन यमुना कालोनी के अंतर्गत श्रेणी-IV के 40 आवासो के बहुमंजिले भवन का निर्माण कार्य हेतु रु 1267.24 लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (मार्च 2015) जिसकी प्रा व धक स्वीकृति उक्त धनरा श हेतु ही प्रदान की गयी (जून 2015)। कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध 01/SE/LVCC-2/2015-16 दिनां कत 23.06.2015 रु 11.54 करोड़ हेतु गठित की गयी जिसके अनुसार कार्य समाप्त होने की ति थ दिसंबर 2016 थी। कार्य पर वर्तमान तक कुल व्यय रु 11.54 करोड़ था।

अ धशासी अ भयंता, परियोजना खंड, देहरादून के अ भलेखो की लेखापरीक्षा मे पाया गया (सतंबर 2017) क खंड द्वारा एकल आधार पर अनुबंध गठित कराते हुये वर्तमान तक न केवल उक्त भवन के निर्माण रु 11.14 करोड़ व्यय के उपरांत भी schedule"B" मे प्रा वधानित 151 मदों के सापेक्ष मात्र 65 मदों मे ही कार्य निष्पादित कए गए थे अ पतु वस्तृत आगरण मे प्र वधानित electrification के कार्य हेतु जिसकी आग णत लागत रु 1.81 करोड़ थी, के निष्पादन हेतु कोई अनुबंध भी गठित नहीं कए गए थे। इसके अतिरिक्त खंड द्वारा कार्यस्थल पर खुदाई के उपरांत Plinth level की भराई हेतु वस्तृत आगणन मे प्रा वधानित दर रु 32/- प्रति cum होने के बावजूद extra item के रूप मे 11910.13 cum (@ 628) मट्टी भराई का कार्य रु 11.99 लाख का कराया गया था जब क व भन्न मदों मे निष्पादित मात्राओ की भन्नता (Schedule B के सापेक्ष) हेतु सक्षम अ धकारी से कोई स्वीकृति भी प्राप्त नहीं थी।

उक्त क ओर इं गत कए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे बताया गया क नि वदाए पूर्व मे कई बार आमंत्रित क जा चुकी थी कन्तु कोई नि वदा प्राप्त न हो पाने के कारण कार्य मे वलंब को देखते हुये एकल नि वदा पर अनुबंध गठित कया गया जब क अनुबं धत 151 मदों के सापेक्ष मात्र 65 मदों मे कार्य के निष्पादन के संबंध मे बताया गया क कार्यस्थल क आवश्यकता अनुसार कार्य का निष्पादन कया गया। स्वीकृत धनरा श के अंतर्गत काया पूर्ण करने के संबंध मे खंड द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर न देते हुये बताया गया क पुनरी क्षत स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यूं क प्रा व धक स्वीकृति से पूर्व ही नि वदा जारी कर न केवल एकल आधार पर अनुबंध गठित कया गया अ पतु प्र वधानित मदों मे कमी/वचलन हेतु न तो ग्राहक वभाग और न ही सक्षम अ धकारी से कोई स्वीकृति प्राप्त थी। पुनः स्वीकृत लागत से अ धक लागत

मे कार्य कराने हेतु खंड द्वारा प्रे षत पुनरी क्षत आगणन पर भी शासन द्वारा कई आप त्तया उठाते हुये उसे वर्तमान तक स्वीकृत नहीं कया गया था।

अतः खंड द्वारा वत्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति के नियमो के वरुद्ध कार्य पर रु 11.14 करोड़ व्यय उपरांत भी मात्र 80 प्रतिशत से भी कम की भौतिक प्रगति की गयी थी।

प्रस्तर 2: वत्तीय नियमावली के वपरीत वत्तीय स्वीकृति से 15.62 लाख अ धक की धनरा श पर अनुबंध का गठित कया जाना।।

राज्य परियोजना निदेशक , राष्ट्रीय शक्षा अ भयान, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा जनपद उत्तरकाशी के वकास खंड पुरोला के स्थान कं डयाल गाँव मे 100 छात्राओ के लए छात्रावास के निर्माण हेतु रु 194.91 लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (मार्च 2013) जसकी प्रा व धक स्वीकृति उक्त धनरा श हेतु ही प्रदान की गयी (फरवरी 2014)। कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध 01/SE/2015-16 दिनां कत 20.10.2015 रु 210.53 लाख हेतु गठित कया गया जिसके अनुसार कार्य समाप्त होने की ति थ अक्टूबर 2016 थी। कार्य पर वर्तमान तक कुल व्यय रु 134.97 लाख था (Vth running bill के अनुसार)।

अ धशासी अ भयंता, परियोजना खंड, देहरादून के अ भलेखो की लेखापरीक्षा मे पाया गया (सतंबर 2017) क खंड द्वारा न केवल एकल आधार पर अनुबंध गठित करते हुये स्वीकृत धनरा श रु 194.91 लाख के सापेक्ष अनुमानित लागत रु 215.86 लाख उल्ले खत कराते हुये रु 210.53 लाख का अनुबंध गठित कया गया अ पतु वर्तमान तक कार्य पर रु 134.97 लाख व्यय के के उपरांत भी कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 70 % ही थी जब क कार्य पूर्ण करने हेतु दी गयी समयावृद् ध भी अप्रैल 2017 मे समाप्त हो चुकी थी। अतः वत्तीय स्वीकृति के साढ़े चार वर्ष उपरांत भी छात्रावास का निर्माण न हो पाने इसका लाभ जनलोक को नहीं मल प रहा था।

उक्त की ओर इं गत कए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे बताया गया क खंड द्वारा कई बार नि वदा आमंत्रित करने के बाद कोई नि वदा न आने के कारण एकल आधार पर नि वदा आमंत्रित की गयी तथा स्वीकृत धनरा श से अ धक का अनुबंध गठित करने के संबंध मे बताया गया क योजना को पुनरी क्षत कर दिया गया है तथा धनाभाव के कारण कार्य क प्रगति कम होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं कया जा सका।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यूं क खंड द्वारा मार्च 2014 से मई 2015 तक कोई नि वदा जारी नहीं क गयी थी तथा ग्राहक वभाग द्वारा योजना को पुनरी क्षत कए जाने संबन्धित कोई भी साक्ष्य खंड द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुतु नहीं कए जा सके थे। पुनः समयावृद् ध क अव ध समाप्त हो जाने के उपरांत भी कार्य को पूर्ण नहीं कया गया था ।

अतः वत्तीय स्वीकृति के ऊपर अनुबंध गठित करने एवं वत्तीय स्वीकृति के 54 माह बाद भी रु 134.97 लाख व्यय के उपरांत कार्य के अपूर्ण रहने से छात्रावास बनाने के उद्देश्य की पूर्ति न होने का प्रकरण उच्चा धकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-**III**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
70/2004-05	01	2,3
42/2007-08	-	01
02/2009-10	-	1,2,3
41/2010-11	-	1,2,3
61/2016-17	-	1

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
NIL				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, परियोजना खण्ड, संचाई वभाग, यमुना कालोनी, देहरादून तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) MB No. 514

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	1. श्री हर्ष कुमार कटियार	अ धशासी अ भयन्ता

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. श्री हर मन्दर कुमार

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, परियोजना खण्ड, संचाई वभाग, यमुना कालोनी, देहरादून को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, इंन्दिरा नगर, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II